HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 568/2026

Vinod Sanwariya S/o Shri Chiman Lal, R/o Plot No. 210, Gali No. 3, Tata Nagar, Shastri Nagar, Jaipur Director C.d.c. (India) Advertisement Pvt. Ltd. Permanent Address E-1087, Iind Floor, Dada Dev Plaza, Ramphal Chowk, Sector-7, Dwarika, New Delhi, Second Address 15-A, Forth Floor, City Vishta, Fountain Road, Kharadi, Poon (Maharashtra) Third Address Shop No. 1-4, Mantra Dulex, Near Icici Bank, Branch Nagar Road, Vagholi, Pune.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohar Pal Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP Ms. Gayatri Rathor. Sr. Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

15/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– झोटवाड़ा, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 563/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त को संबंधित न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिनांक 21.01.2022 से दिया गया था और प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया उपरोक्त अपराध बनना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आज भी अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी याचिका प्रस्तुत कर रखी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में दिनांक 21.01.2022 के द्वारा सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था तथा सशर्त अग्रिम जमानत के आदेश की पालना नहीं कर संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, तदुपरांत प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में धारा 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत वारंट पारित कर मफरूरी की कार्यवाही प्रारंभ की गई है और उसे स्थायी वारंटी घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत के आदेश की अवहेलना करते हुए संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थिति नहीं दी गई है इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह तथ्य भी आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने की नियत से विभिन्न फर्मों का गठन कर उनका नाम, पता, पदाधिकारियों के नाम व बैंक खाता नंबर बदलकर परिवादी के पुत्र मेजर राजपाल सिंह राठौड़ के साथ छल–कपट, धोखाधड़ी, षड्यंत्र के तहत अपराध कारित किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है, जो संलग्न पत्रावली रहे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का आदेश दिनांक 21.01.2022 के आधार पर दिया था प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं दी थी, तदुपरांत प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में धारा 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर उसे वर्ष 2023 में मफरूर घोषित किया गया था। पृथमदृष्टया भी प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अपराध प्रमाणित माना गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विनोद सांवरिया पुत्र चिमन लाल** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, उक्त याचिका के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /69